



SHRI VAISHNAV VIDYAPEETH VISHWAVIDYALAYA

SCHOLARSHIP POLICY

S. No	Scholarship Category	Scholarship
1	Girl Students (First Year Only)	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
2	Meritorious Students (First Year Only)	
	- 95% and above in 10+2/Graduation	100% of Tuition Fee
	- 85% - 95% in 10+2/Graduation	30% of Tuition Fee
	- 75% - 85% in 10+2/Graduation	20% of Tuition Fee
	- 65% - 75% in 10+2/Graduation	10% of Tuition Fee
3	Meritorious MBA Students (First Year Only)	
	- CAT – 75 Percentile and above	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
	-MAT/XAT/ATMA/C-MAT/JEE – 90 Percentile and above	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
4	Students from Institutions Sponsored by Shri Vaishnav Group of Trusts	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
5	Employees and Their Wards	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
6	Physically Challenged Students (10 students)	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
7	Children of Deceased/Retired Defence Personnel/Central Armed Police Force (10 students)	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
8	Siblings	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
9	Wards of Alumni	50% of Tuition Fee or Rs. 50,000 (whichever is less)
10	Merit Scholarships (Second Year Onwards)	
	- Top 10% with CGPA OF 8.5 and above	75% of Tuition Fee
	- Next 10% with CGPA of 8.5 and above	50% of Tuition Fee
11	Merit-cum-Means Scholarships (Second Year Onwards)	10 scholarships of 50% of Tuition Fee for students with parental income ≤ Rs. 8,00,000 per annum and CGPA of 7.5+
12	Teaching Assistanceship amounting to Rs. 12400/- per month will be offered to GATE qualified students perusing M. Tech. Such Students will be required to conduct Labs equivalent to 10 Hours of workload per week and assist the concerned faculty	
13	Teaching Assistanceship amounting to Rs. 25000/- and Rs. 27000/- per month will be offered to Ph. D Scholars in 04 year full time program during first two and later two years respectively subject to MHRD/UGC/AICTE guidelines.	

Clause for Students Belonging to OBC/ST/SC Categories

- Students eligible for government financial assistance, fee reimbursement, or scholarships will be adjusted accordingly.
 - If the government scholarship equals or exceeds the University scholarship amount, no additional benefit will be provided.
 - If the government scholarship is less than the University scholarship, the University will provide the difference subject to maximum ceiling limit as prescribed in the university Scholarships policy.
- General Terms and Conditions:**
- Scholarships apply exclusively to tuition fees excluding development fees and do not cover transportation, or other charges.
 - The scholarship will stop if a student gets ATKT at any stage of the Program (Not applicable to the first-year scholarships).
 - A student will not be eligible to avail more than one scholarship of the university at any given time.
 - Scholarships for siblings are applicable to one sibling only and the same will be awarded to younger sibling of a student enrolled with the university. The same logic shall apply to the siblings seeking admission together.
 - The benefit of the scholarships offered at the time of admission will be given to students @ 40% of offered SVVV Scholarships in 1st semester and difference in the 3rd semester after adjusting the Scholarship offered by the Government.
 - The benefit of the scholarships offered second year onwards will be given to the students after students has applied for the relevant scholarship on ERP portal on time.



श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इन्दौर

छात्रवृत्ति योजना

क्र. सं.	छात्रवृत्ति श्रेणी	छात्रवृत्ति विवरण
1	बालिका छात्राएं (केवल प्रथम वर्ष)	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
2	मेधावी छात्र (केवल प्रथम वर्ष)	
	95% और उससे अधिक (10+2/स्नातक)	ट्यूशन शुल्क का 100%
	85% - 95% (10+2/स्नातक)	ट्यूशन शुल्क का 30%
	75% - 85% (10+2/स्नातक)	ट्यूशन शुल्क का 20%
	65% - 75% (10+2/स्नातक)	ट्यूशन शुल्क का 10%
3	मेधावी MBA छात्र (केवल प्रथम वर्ष)	
	CAT - 75 पर्सेंटाइल और उससे अधिक	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
	MAT/XAT/ATMA/C-MAT/JEE - 90 पर्सेंटाइल और उससे अधिक	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
4	श्री वैष्णव समूह द्वारा प्रायोजित संस्थानों के छात्र	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
5	कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
6	विकलांग छात्र (10 छात्र)	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
7	शहीद/सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बच्चों (10 छात्र)	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
8	भाई-बहन (सिबिलिंग्स)	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
9	पूर्व छात्र (Alumni) के बच्चों के लिए	ट्यूशन शुल्क का 50% या ₹50,000 (जो भी कम हो)
10	मेधावी छात्रवृत्तियाँ (द्वितीय वर्ष से आगे)	
	शीर्ष 10% छात्र जिनका CGPA 8.5 या अधिक हो	ट्यूशन शुल्क का 75%
	अगले 10% छात्र जिनका CGPA 8.5 या अधिक हो	ट्यूशन शुल्क का 50%
11	मेरिट-कम-मी छात्रवृत्तियाँ (द्वितीय वर्ष से आगे)	₹8,00,000 या उससे कम वार्षिक पारिवारिक आय और 7.5+ CGPA वाले छात्रों के लिए 10 छात्रवृत्तियाँ (ट्यूशन शुल्क का 50%)
12	M.Tech छात्रों के लिए GATE योग्यता के आधार पर ₹12,400/- प्रतिमाह की टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाएगी। छात्र को सप्ताह में 10 घंटे की प्रयोगशाला कार्य सहायता करनी होगी।	
13	पूर्णकालिक 4 वर्षीय Ph.D. कार्यक्रम के शोधार्थियों को पहले दो वर्षों के लिए ₹25,000/- और बाद के दो वर्षों के लिए ₹27,000/- प्रतिमाह की टीचिंग असिस्टेंटशिप दी जाएगी (MHRD/UGC/AICTE दिशानिर्देशों के अनुसार)।	

ओबीसी एसटी एससी वर्ग के छात्रों के लिए नियम :

- शासकीय छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थी को शासन से प्राप्त छात्रवृत्ति, वित्तीय सहायता, अन्य शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि को समायोजित करने के पर्याप्त ही वि. वि. द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति की मात्रता निर्धारित की जावेगी।
- यदि शासकीय छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति राशि के बराबर या उससे अधिक है, तो विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- यदि शासकीय छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से कम है, तो विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति की निर्धारित अधिकतम सीमा के अंतर की राशि की छात्रवृत्ति ही विश्वविद्यालय द्वारा दी जावेगी।

सामान्य नियम और शर्तें :

- छात्रवृत्ति की गणना केवल ट्यूशन फीस पर लागू होती है, इसमें विकास शुल्क, परिवहन शुल्क एवं अन्य कोई शुल्क शामिल नहीं किया जाएगा।
- यदि किसी छात्र को पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किसी भी सेमेस्टर में एटीकेटी आती है तो उस स्थिति में वह छात्र, छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं रहेगा (यह नियम प्रवेश के समय प्रदत्त प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति पर लागू नहीं होगा)।
- कोई भी छात्र किसी भी समय विश्वविद्यालय की एक से अधिक छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा।
- भाई-बहनों के लिए छात्रवृत्ति केवल एक भाई-बहन के लिए लागू होती है और विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र के छोटे भाई-बहन को दी जाएगी। एक साथ प्रवेश लेने वाले भाई-बहनों पर भी यही नियम लागू होगा।
- प्रवेश के समय दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के 40% का लाभ पात्र विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के समय दिया जावेगा एवं शेष छात्रवृत्ति की राशि, शासन द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि के अंतर को समायोजित करने के पश्चात तृतीय सेमेस्टर में दी जावेगी।
- वि. वि. द्वारा प्रथम सेमेस्टर में दी गई छात्रवृत्ति की राशि एवं शासन से प्राप्त हुई छात्रवृत्ति की राशि का योग यदि वि. वि. द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति की राशि से अधिक होता है, उस स्थिति में प्रथम सेमेस्टर में अधिक दी गई छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान छात्र द्वारा वि. वि. को करना होगा।
- वि. वि. द्वारा घोषित सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए, निर्धारित समय सीमा में वि. वि. के E-MRP पोर्टल पर इस हेतु आवेदन करना अनिवार्य है।